

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/ पश्चिमी/ पूर्वी/ दक्षिणी/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
नई दिल्ली/ मुंबई/ कोलकाता/ चेन्नई/ गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक (आरसीडीयू/ एफआईयू)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/ चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
सीएटीसी,
इलाहाबाद

महाप्रबंधक (सीआरएसडी/ ई व एम वर्कशॉप)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र संख्या : 35/2011

विषय : भाविप्रा (सेवानिवृत्त कार्मिक) चिकित्सा लाभ योजना के तहत आश्रितों को चिकित्सा लाभ ।

सीपीसी सं० 1/2010 दिनांक 11-01-2010 में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए आश्रितों की आय सीमा की शर्त को रु. 1500/- से बढ़ाकर रु. 3500/- प्रति माह कर दिया गया है ।

2. इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत कार्मिक के पति/पत्नी जिनकी आय रु. 3500/- प्रति माह से अधिक है, चाहे वार्ड की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हुई हो या नहीं, भाविप्रा (सेवानिवृत्त कार्मिक) चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत चिकित्सा कार्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे । हालांकि, मृत कर्मचारी के पति या पत्नी तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त वार्ड दोनों के बाह्य उपचार की कुल सीमा वार्ड की पात्रता तक ही सीमित होगी । ऐसे मामलों में मृत कार्मिक के पति या पत्नी को केवल वार्ड पर आश्रित माना जाएगा।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

--हस्ता ०--

(राजू दुरेहा)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

आंतरिक वितरण :

- अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी
- निजी सचिव – सदस्य (मानव संसाधन)/ (योजना)/ (एएनएस)/ (प्रचालन)/ (वित्त)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
- कार्यपालक निदेशक – वित्त/ प्रशासन/ मानव संसाधन/ सीए व सीएस
- मानव संसाधन/ प्रशासन के सभी महाप्रबंधक – केसीएम/ बीएस/ आरके/ आरएसएम
- महाप्रबंधक (आईटी) – भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- अध्यक्ष/ महासचिव - एएओ (I)/ आईएएआईओए/ एसीओ (I)/ एटीसी गिल्ड (I)/ भाविप्रा इंजी. गिल्ड/ भाविप्रा एससी व एसटी कल्याण संघ
- महासचिव एएईयू